विपिन चन्द्र त्रिपाठी कुमायूं इंन्जीनियरिंग कालेज – द्वाराहाट –263653
जनपद – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

विपिन चन्द्र त्रिपाठी कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, जनपद – अल्मोड़ा की गवर्निंग काउसिल की प्रथम बैठक दिनांक 14.05.2010 को अपराहन 05.00 बजे, एटलान्टिस क्लब, सभागार में प्रो0 डी0एस0 चौहान कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता सम्पन्न हुई। समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक मे प्रतिभाग किया।

01.प्रो0 डी0एस0 चौहान कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	–	अध्यक्ष
02.श्री राकेश शर्मा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	सदस्य
03.श्री आ0सी0 शर्मा संयुक्त सचिव, (सचिव वित्त द्वारा नामित) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	सदस्य
04.कर्नल (डा0) जे0एस0विर्क प्राचार्य, गो0ब0प0 इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी	–	सदस्य
05.श्री अवनीश जैन उप निदेशक,एस0पी0एफ0यू0 देहरादून	–	विशेष आमंत्रित सदस्य

06.प्रो0 सज्जन पाल सिंह — सदस्य
इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग
आई0आई0टी0, रूड़की

07.प्रो0 शैलेन्द्र मिश्रा — सदस्य
विभागाध्यक्ष
कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
विपिन चन्द्र त्रिपाठी कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज,
द्वाराहाट

08.डा0 डी0एस0 पुण्ढीर, — सदस्य सचिव
प्राचार्य,
विपिन चन्द्र त्रिपाठी कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज,
द्वाराहाट

सर्वप्रथम प्राचार्य संस्थान एवं सदस्य सचिव गवर्निंग काउंसिल द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

01.01 कालेज की गवर्निंग काउंसिल के गठन की सूचना एवं इसके कार्यक्षेत्र/अधिकारों का प्रस्ताव।

शासनादेश संख्या 495/XXIV(8)/2010 के प्राविधानों के अनुरूप गवर्निंग काउंसिल के गठन की सूचना से काउंसिल अवगत हुयी एवं इसके निम्नवत कार्यक्षेत्र हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की।

<u>कार्यक्षेत्र एवं अधिकार</u>

*All Administrative and Academic Matters of the College shall be considered by the Governing Council. In addition to this the Governing Council will provide supervision and guidance for successful implementation of the **World Bank Project TEQIP-II**. The decisions taken*

by the Governing Council on routine matters will be implemented by the Principal whereas the Decision related to policy matters shall be placed before the ***Board of Governors*** *(BOG) for approval before being implemented.*

01.02 कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज का नाम परिवर्तित कर "विपिन त्रिपाठी कुमायूं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी" किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

शासनादेश संख्या 667/XXIV(8)/2009-25-04TC के अनुपालन में कालेज का नाम परिवर्तित कर ***"विपिन त्रिपाठी कुमायूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, द्वाराहाट"*** (VTKIT-Dwarahat) एवं प्राचार्य के पदनाम को **"निदेशक"** पदनाम में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव पर काउंसिल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

01.03 संस्थान की कार्मिक समिति को समाप्त कर उसको प्रशासनिक समिति में संविलिनीकरण किए जाने पर विचार एंवं अनुमोदन।

काउंसिल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद कालेज की कार्मिक समिति को समाप्त कर उसको प्रशासनिक समिति में संविलिनीकरण करने हेतु प्रस्ताव पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

01.04 संस्थान में मैमोरेण्डभ ऑफ ऐसोसिऐसन के प्राविधान 11 (I) गवर्निंग बॉडी तथा सोसाइटी रूल्स के प्राविधान 07(I) के अंतर्गत गठित प्रशासकीय परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिये जाने के संबंध में विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श के उपरांत काउंसिल ने प्राचार्य संस्थान को निर्देशित किया कि वह प्रदेश की अन्य संस्थाओं/महाविद्यालयों के प्राविधान के अनुरूप प्रस्ताव का संशोधन कर इसे अगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

01.05 संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए विभागाध्यक्ष नामित किये जाने की व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

काउंसिल संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष नामित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्मित शासनादेश के निम्नवत प्राविधानों से अवगत हुयी।

1. जिन विभागों में दो या दो से अधिक प्रोफेसर हैं उन्हें चकानुकम में 03 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष नामित किया जाये।
2. जिन विभागों में प्रोफेसर का एक पद है वहॉ पर वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के मध्य चकानुकम में तीन वर्ष हेतु विभागाध्यक्ष नामित किया जाये।
3. जिन विभागों में प्रोफेसर पद नहीं है अथवा रिक्त हैं वहॉ तीन वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसरों के मध्य चकानुकम में 03 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष नामित किय जायें।

काउंसिल ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

01.06 अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के अधिकारों को उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद को प्रातिस्थानित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

काउंसिल शासनादेश संख्या 1752/91/प्रावधिक शिक्षा/–1–224/91 में उल्लेखित प्रावधानों से अवगत हुयी। जिसमें अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद ने सोसाइटी रूल्स 32 के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों तथा सोसाइटी रूल्स के नियम 25 के अंतर्गत अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद में निहित निम्नलिखित अधिकारों को उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद को प्रतिस्थानित किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

1. निदेशक/प्राचार्य के पदों को छोड़कर शेष पदों पर चयन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।
2. शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु अथवा अधययन हेतु देश से बाहर भेजने के मामले।
3. प्रधानाचार्य/निदेशक/प्रोफेसर को छोड़कर शेष सभी पदों पर कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले।
4. शिक्षकों द्वारा कि गई सेवी से त्यागपत्र के मामले

5. संस्था के अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले।
6. विभिन्न प्रशासनिक परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने के मामले।
7. शिक्षकों / कर्मचारियों के सेवा संबंधी विभिन्न मामले।
8. संस्थाओं की वित्त समिति, क्रय समिति, प्रशासनिक समिति आदि समितियों में सदस्यों को नामित करने के मामले।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत काउंसिल ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

01.07 संस्थान में परीक्षण एवं परामर्शी टैस्टिंग एवं कन्सलटेंसी नियमों को लागू किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

काउंसिल पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 417 / 2000 –सोलह – 1– 173 / 1995 में प्रदत्त परीक्षण तथा परामर्शी नियमों के प्रस्ताव से अवगत हुयी एवं इसमे उल्लेखित नियमों के अनुरूप मानदेयों हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

01.08 दिनांक 02 अप्रैल, 2009 से अब तक संस्थान में हुए विकास कार्यो एवं कियाकलापों से कांउसिल को अवगत कराना।

प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत दिनांक 02 अप्रैल, 2009 से अब तक संस्थान में हुए विकास कार्यों एवं किया कलापों से काउंसिल अवगत हुयी एवं संतोष व्यक्त किया।

01.09 संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा AICTE में एक्रेडिटेशन हेतु आवेदन किये जाने की सूचना एवं इस हेतु तैयारियों से कांउसिल को अवगत कराना।

काउंसिल संस्थान के विभिन्न विभागों का ए0आई0सी0टी0ई0 से एक्रीडिटेशन कराने के आवेदन करने की सूचना एवं इस हेतु कालेज की तैयारियों से अवगत हुयी एवं संतोष व्यक्त किया।

01.10 संस्थान में चल रहे विभिन्न बी0टेक0 पाठ्यक्रमों की सत्र 2010–11 से प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

संस्थान में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की सत्र 2010–11 से प्रवेश क्षमता को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव से काउंसिल अवगत हुयी तथा जिन पाठ्यक्रमो की प्रवेश क्षमता 60 से कम हैं, उनकी प्रवेश क्षमता 60–60 करने हेतु निम्नवत स्वीकृति प्रदान की।

क्रम0 संख्या	पाठ्यक्रम	वर्तमान स्वीकृत प्रवेश क्षमता	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता में वृद्धि	वर्ष 2010–11 से प्रस्तावित प्रवेश क्षमता
01	सिविल इंजीनियरिंग	30	30	60
02	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	30	30	60
03	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	30	30	60
04	बायोकेमिकल इंजीनियरिंग	30	30	60
05	एम0सी0ए0	30	30	60

01.11 संस्थान में वर्ष 2010–11 से बी0टेक0 कैमिकल इंजीनियरिंग एवं बी0टेक0 इन्फोरमेशन टैक्नॉलाजी प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

काउंसिल वर्तमान में चल रहें 06 बी0टैक0 पाठ्यक्रमों की स्थिति से अवगत हुयी एवं विस्तृत विचारा विमर्श के उपरांत वर्ष 2010–11 से 60–60 प्रवेश क्षमता के दो नये बी0टैक0 प्रोग्राम (अ) बी0टैक0 कैमिकल इंजीनियरिंग (ब) बी0टैक0 इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की।

01.12 संस्थान में वर्ष 2010–11 से तीन एम0टेक0 पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरांत काउंसिल ने संस्थान में सत्र 2010–11 से निम्नवत तीन एम0टैक0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की।

क्रम संख्या	एम0टैक0 पाठ्यक्रम का नाम एवं शाखा	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता	स्पेशलाइजेशन
01	थर्मल इंजीनियरिंग	18	थर्मल इंजीनियरिंग
02	कम्प्यूटर सांइस एंड इंजीनियरिंग	18	सोफटवेयर इंजीनियरिंग
03	वी0एल0एस0आई डिजाइन	18	वी0एल0एस0आई डिजाइन

01.13 तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा कालेज को **शैक्षणिक स्वायत्ता** दिये जाने के संबंध में सूचना एवं इसी क्रम में कालेज के स्वायत्ता हेतु यू0जी0सी0 में आवेदन करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा संस्थान को शैक्षणिक स्वायत्ता दिये जाने के प्रस्ताव से अवगत हुई एवं इसी क्रम में कालेज को स्वायत्ता हेतु यू0जी0सी0 में आवेदन करने की स्वीकृति प्रदान की।

01.14 **संस्थान द्वारा SWOT ANALYSIS कराये जाने के संबंध में सूचना एवं इसके आधार पर तैयार किये गये संस्थान के Mission & Vision Statement का अनुमोदन।**

विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा सुधार कार्यक्रम TEQIP-II के दिशा निर्देशों के क्रम में संस्थान द्वारा SWOT ANALYSIS कराये जाने की सूचना एवं इसके परिणामों से काउंसिल अवगत हुयी तथा विस्तृत विचारोपरांत संस्थान के निम्नवत MISSION एवं VISSION स्टेटमेंट का अनुमोदन किया।

INSTITUTION'S MISSION STATEMENT

LEADING TOWARDS PINNACLE.......

To impart excellent technical education and conduct state of the art research and innovations in emerging technologies benefitting the people of the hilly region.

INSTITUTION'S VISION STATEMENT

ENGINEERING NEW HIGHS..............

- *To be the leader in technology dissemination, producing world class technocrats and entrepreneurs with a zeal to be lifelong learners meeting the challenges of 21st Century.*

01.15 संस्थान में संकाय सदस्यों की स्थिति तथा रिक्त पदों से कांउसिल को अवगत कराना।

समिति संकाय सदस्यों की स्थिति एवं रिक्त पदों की सूचना से अवगत हुई एवं प्राचार्य से रिक्त पदों को नियमानुसार शीघ्र भरने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

01.16 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

इस मद में किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

22.5.10

(डा० डी० एस० पुण्ढीर)
प्राचार्य / सदस्य सचिव गवर्निंग काउंसिल
विपिन चन्द्र त्रिपाठी कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज,
द्वाराहाट, अल्मोड़ा

(प्रो० डी०एस० चौहान)
अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल / कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून